"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 37] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 सितम्बर 2008—भाद्र 21, शक 1930

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/7/2003/1/2.—श्री बी. एल. अग्रवाल, भा. प्र. से., आयुक्त, रायपुर सम्भाग, रायपुर को दिनांक 30-07-2008 से 02-08-2008 तक (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 03-08-2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अग्रवाल आगामी आदेश तक आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.

3. अवकाश काल में श्री अग्रवाल को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो, उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/9/2008/1/2.—सुश्री शम्मी आबिदी, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, रायपुर, जिला रायपुर को दिनांक 28-07-2008 से 14-08-2008 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 27-07-2008 एवं 15, 16 तथा 17 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर सुश्री आबिदी, आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में सुश्री आबिदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री आबिदी, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/4/2008/1/2.—श्री मुकेश कुमार, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर को दिनांक 11-08-2008 से 23-08-2008 तक (10 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें स्वयं के व्यय पर निजी विदेश (बेल्जियम) यात्रा की अनुमति दी जाती है. साथ ही दिनांक 09, 10 एवं 24 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कांकेर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मुकेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश कुमार, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/31/2004/1/2.—श्री एम. एस. पैकरा, भा. प्र. से., आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 18-08-2008 से 23-08-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16, 17 एवं 24 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पैकरा, आगामी आदेश तक आयुक्त, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री पैकरा को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पैकरा, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/8/2004/1/2.—श्री बी. के. एस. रे, भा. प्र. से., महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर को दिनांक 14-08-2008 से 20-08-2008 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री रे, महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री रे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक ई-7/3/2008/1/2.—श्री ओमप्रकाश चौधरी, भा. प्र. से., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा को दिनांक 18-08-2008 से 23-08-2008 तक (06 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15, 16, 17 एवं 24 अगस्त, 2008 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री चौधरी, आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जांजगीर-चांपा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

विधि और विधायी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक 8032/2563/21-ब/छ. ग./2008.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 807/दो-02-101/गोप./08, दिनांक 18-08-2008 के अनुपालन में श्री रमेश कुमार राठी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं श्री रामकुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड की सेवाएं उप-सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग को एतद्द्वारा सौंपी जाती है.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक 8034/2563/21-ब/छ. ग./2008.—राज्य शासन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 807/दो-02-101/गोप./08, दिनांक 18-08-2008 के अनुपालन में श्री रमेश कुमार राठी, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ एवं श्री रामकुमार तिवारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर में उप-सचिव के पद पर एतद्द्वारा प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2008

क्रमांक 8036/2563/21-ब/छ. ग./2008.—राज्य शासन, श्री ए. के. पाठक, द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिनकी सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 12951/डी-2597/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 28-10-06 एवं श्री अशोक कुमार पोद्दार, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की सेवाएं इस विभाग के आदेश क्रमांक 7300/डी-2174/21-ब/छ. ग./05, दिनांक 12-09-05 द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग को उप-सचिव के पद पर सौंपी गई थी, कि सेवाएं छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 807/दो-02-101/गोप./08, दिनांक 18-08-2008 के परिपेक्ष्य में विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, रायपुर से एतद्द्वारा छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को वापस सौंपी जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. शर्मा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 अगस्त 2008

क्रमांक 8141/2633/21-ब/छ. ग./2008.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुधीर शर्मा, अधिवक्ता, जांजगीर-चांपा को दिनांक 26-08-2008 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि के लिए नियमित न्यायालय जांजगीर-चांपा के लिए लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. पाठक, अतिरिक्त सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

क्रमांक/एफ 1-17/2008/14-1.—श्री जे. सी. एस. राव, (भा. व. से.) जो कि कृषि विभाग के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर के पद पर पदस्थ है, की सेवायें छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 9-10/2008/1-8, दिनांक 19-08-2008 के अनुक्रम में एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है

रायपुर, दिनांक 20 अगस्त 2008

क्रमांक/एफ 1-17/2008/14-1.—श्री आलोक कटियार, (भा. व. से. 1993, वन संरक्षक) रायपुर की सेवायें वन विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, रायपुर के पद पर एतद्द्वारा पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अगस्त 2008

क्रमांक-एफ 6-2/2002/(6)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25-11-2002 से गठित राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति (State Level Export Promotion Committee) को आगामी आदेश पर्यन्त निम्नानुसार पुनर्गठित करता है :—

1.	मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग	सदस्य
3.	आयुक्त, उद्योग, छत्तीसगढ़ शासन, उद्योग संचालनालय	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग (राज्य प्रकोष्ठ), भारत सरकार, नई दिल्ली.	सदस्य
5.	संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुंबई	सदस्य
6.	विकास आयुक्त (एसईजेड/ईपीजेड-राज्य प्रकोष्ठ) नोयडा, यू. पी.	सदस्य
7.	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर.	सदस्य सचिव
8.	कार्यपालक संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर.	सदस्य

यह समिति एसाईड योजना के प्रस्तावों का परीक्षण कर अनुमोदन तथा एसाइड योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगी.

अध्यक्ष की अनुज्ञा से आवश्यकतानुसार सदस्य विशेष आमंत्रितों के रूप में बुलाये जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अगस्त 2008

क्रमांक एफ 1-5/2008/13/1.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जे. बी. सिंह, कार्यपालन अभियंता (वि. सु.) एवं संभागीय विद्युत निरीक्षक, को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26-8-2008 को संपन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने के फलस्वरूप अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक के पद पर वेतनमान रुपये 12000-375-16500/- में पदोन्नत करते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अधीक्षण अभियंता (वि. सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक, छ. ग. रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि विभागाध्यक्ष का एकाकी पद होने के कारण पदोन्नति के लिये आरक्षण नियम लागू नहीं होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक/8203/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीकला प. ह. नं. 19	1.784	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 23 अगस्त 2008

क्रमांक/8204/भू-अर्जन/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	बिहरीखुर्द प. ह. नं. 19	5.192	कार्यपालन अभियंता, मोंगरा परियोजना, जल संसाधन संभाग, डोंगरगांव.	मोंगरा परियोजना के दायीं तट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 13 अगस्त 2008

क्रमांक/125/111/अ. वि. अ./भू-अर्जन/08 अ/82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	पडकीपाली प. ह. नं. 118/65	0.12	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ. ग.)	चंडीडोगरी जला. के पडकीपाली नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. जायसवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 23 अगस्त 2008

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पीठाआमा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.843 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.089
43	0.198
64	0.364
109/1	0.172
63/1 क	0.308
63/1 ख	0.121

	(1)	(2)
	110/1	0.255
	65	0.121
	110/2	0.215
योग	9	1.843

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पीठाआमा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं शाखा नहर के लिए भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./20/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-छछानपाहरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.092 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	335/5	0.009
	379/1	0.129
	353/1	0.105
	353/3	0.121
	379/2	0.162
	338	0.138
	339	0.886
	348	0.057
	342/2	0.142
	342/1	0.405
	375/2	0.182
	340	0.202
	341	0.300
	345	0.125
	346	0.061
	367	0.243
	343	0.097
	344	0.081
	347	0.068
	349/1	0.125
	349/2	0.126
	350	0.101
	351/1	0.036
	351/2	0.036
	352	0.105
	369	0.109
	371/1	0.202
	373	0.154
	374/1	0.064
	374/2	0.093
	365/1	0.024
	364	0.154
	365/2	0.024
	366/1	0.020
	366/2	0.004
	368/2	0.081
	380	0.040
	372/2	0.081
योग	38	5.092

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-निर्मित चंगोरी जलाशय के डूबान एवं स्पील चैनल हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र./21/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-चंगोरी, प. ह. नं. 20
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.519 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1112/1	0.729
	1141, 1142	0.231
	1146	0.020
	1151/2	0.040
	1147	0.377
	1132/1	0.065
	1137	0.028
	1132/2	0.182
	1135	0.024
	1136	0.065
	1138	0.381
	1139	0.413
	1140/1	0.109
	1140/2	0.109
	1140/3	0.105
	1140/4	0.106
	1143	0.162
	1144/1	0.134
	1144/2	0.134
	1145	0.105
योग	20	3.519

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- निर्मित चंगोरी जलाशय के बांध एवं डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 8 अगस्त 2008

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अ. वि. अ./प्र. क्र. 26/अ-82/वर्ष 06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-हतबंद, प. ह. नं. 103
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.333 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	134/1, 135/1	0.101
	133/3	0.065
	134/2, 135/2	0.053
	134/3, 135/3	0.049
	133/4	0.065
योग	5	0.333

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-नंदनवन विकास हेतु भूमि का अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 28th August 2008

No. 38/L.G./2008/II-2-22/2001.—Smt. Maitreyi Mathur, Principal Judge, Family Court, Raipur is hereby granted earned leave for 03 days from 17-09-2008 to 19-09-2008 along with the permission to leave headquarters from the evening of 16th September, 2008 till the morning of 22nd September, 2008.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Mathur, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 55 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
GANPAT RAO, Additional Registrar.